5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED

196 10

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मडंल ग्वालियर केम्प जबलपुर म.प्र.

रिविजन. क. I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा/2018/1810 /2018

आवेदकगण – 1 मुनिलाल पिता श्री छेदीलाल उम्र 53 साल -(9993310510)

2 धीरसिंग पिता श्री छेदीलाल उम्र 41 साल

3 कोकशाह पिता श्री विपती उम्र 42 साल

सभी जाति गौड़, निवासी ग्राम – छिंदा, तह.–पासिया जिला छिंदवाड़ा

4 ताराचंद पिता श्री मानक उम्र 48 साल जाति गौड़,

निवासी ग्राम – भोकई, तह.–पासिया जिला छिंदवाड़ा

राजस्व मंडल आर०प्र०आवेदन अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 2/52 26 FEB 2018

आवेदक मुनसलाल फौत

वि रु द्ध

535

अनावेदकगण – 1 अशोक कुमार पिता श्री उदल जाति कलार उम्र 41 साल

2 महेश कुमार पिता श्री बालाराम जाति कलार उम्र 63 साल

3 इन्दल उर्फ सुदंरलाल पिता श्री बालाराम जाति कलार उम्र 48 साल

4 सीताराम पिता श्री इन्दल उर्फ सुदंरलाल जाति कलार उम्र 40 साल

5 कन्हैया पिता श्री इन्दल उर्फ सुदंरलाल जाति कलार उम्र 40 साल

6 सिलकराम पिता मुन्ना जाति कलार उम्र 53 साल

7 दुर्गाप्रसाद पिता मुन्ना जाति कलार उम्र 51 साल

8 देवेन्द्र प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति कलार उम्र 58 साल

9 इन्दंरलाल पिता श्री बालाराम जाति कलार उम्र 68 साल

सभी निवासी – ग्राम लोहांगी पो. सिरगोरा तह. परासिया जिला– छिंदवाड़ा

रिविजन अंर्तगत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदकगण, मााननीय अनुविभागिय अधिकारी द्वारा विचाराधीन रा.प्र. क.02/अ –23 /2015–16 (मुनिलाल व अन्य –वि.– अशोक कुमार व अन्य) में पारित आक्षिप्त आदेश दि. 12/10/.2017, 16/11/.2017 व आदेश दि. 29.11.17 एवं तत्पश्चात आदेश दिनांक से व्यथित होकर यह रिविजन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करता है:–

त थ्य

1 यह कि आवेदकगणों ने अनावेदकगणों के, विरुद्ध राजस्व प्रकरण क. 02/अ –23 /2015–16 मााननीय अनुविभागिय अधिकारी के समक्ष अर्तंगत धारा 170ख म.प्र.भू रा. संहिता का पेश किया । आवेदनपत्र की प्रति संलग्न <u>एनेक्जर ए–1</u> है ।

2 यह कि अना. क. 1 व 3 की फौत हो गयी अतः इनके विधिक वारसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदनपत्र अर्तंगत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.संहिता आवेदकगणों द्वारा पेश किया गया । आवेदनपत्र की प्रति संलग्न <u>एनेक्जर ए–2</u> है ।

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5 CANCELLED

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

एक / निगरानी / छिंदवाड़ा / भू.रा. / 2018 / 1810

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25 .2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 यादव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परासिया जिला छिंदवाडा के प्रकरण कमांक 02 / अ–23 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण जिला कलेक्टर छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 04 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 4 / 19 **कलेक्टर जिला छिंदवाडा**	